न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), प्रयागराज।
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–936/2026</u>
UPAD010026182026

अजय कुमार पाल पुत्र राम प्रकाश पाल निवासी धानी का पुरवा थाना मऊआइमा, जिला प्रयागराज।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

..... अभियोगी

मु0अ0सं0–401/2018
धारा–452, 323, 504, 506, 427 भा.दं.सं.
धारा–3(2)(5क) एस.सी/एस.टी. एक्ट
<u>थाना मऊआइमा, जिला प्रयागराज</u>

<u>दिनांक–24.03.2026</u>

जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **अजय कुमार पाल** की ओर से **मु0अ0स0–**401/2018**, धारा–**452, 323, 504, 506, 427 भा.दं.सं. **व धारा–3(2)(5क) एस.सी/एस.टी.** एक्ट, थाना मऊआइमा, जिला प्रयागराज में प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के पिता रामप्रकाश पाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अमर बहादुर चमार द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–13.08.2018 को थाना मऊआइमा में पंजीकृत करायी गयी है कि दिनांक–11.08.2018 को समय 02 से 3 के बीच में अजय कुमार पाल उसके घर पर आया और प्रार्थी को जाति सूचक गालियां देते हुए प्रार्थी को मारा पीटा, उसके शोर मचाने पर उसकी पत्नी आयी तो उसे भी मारा पीटा, किसी प्रकार से प्रार्थी व उसकी पत्नी जान बचाकर घर में घुस गयी तो घ ार में घुसकर तोड़फोड़ की एवं दुकान से दो हजार रूपये गल्ले में रखे थे, उसे भी ले गया और जाते जाते कहीं सूचना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी कहा कि उसका भाई पुलिस में है, पुलिस से उसको डर नहीं है।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना मऊआइमा प्रयागराज पर अभियुक्त अजय कुमार पाल के विरूद्ध मुकदमा मु0अ0स0–401/2018 धारा–392, 452 323, 504, 506, 427 भा.दं.सं. व धारा–3(2)(5क) एस.सी/एस.टी. एक्ट, में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा धारा–392 भा.दं.सं. का लोप करते हुए, विवेचना के उपरांत

अभियुक्त अजय कुमार पाल एवं अन्य के विरूद्व धारा–452, 323, 504, 506, 427 भा.दं.सं. व धारा–3(2)(5क) एस.सी/एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि आवेदक बिलकुल निर्दोष है, उसके खिलाफ लगाया गया अभियोग फर्जी एवं मनगढ़ंत एवं असत्य है। मात्र जमीनी रंजिश में प्रार्थी को मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थी व वादी के मध्य मात्र सिविल मुकदमा में वादी को फंसाने के लिए गलत तरीके से आपराधिक रंग देने के लिए मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी को मुल्जिम बनाया जबकि उनके मध्य सिर्फ जमीनी विवाद है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। उसका जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

वादी मुकदमा ने जमानत प्रार्थनापत्र के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है अभियुक्त कई बार वादी मुकदमा एवं उसके परिवार वालों को आबादी से बेदखल करके अवैध कब्जा करने हेतु अमादा है, जिसका विरोध करने पर उसे शारीरिक व सामाजिक क्षति पहुंचायी जाती है। अभियुक्त विगत 6 वर्ष पश्चात न्यायालय में उपस्थित आया है, जिससे स्पष्ट है कि वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा तथा न्यायालय को सहयोग प्रदान नहीं करेगा।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–31.01.2026 सहित अन्य समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा एवं उसके अन्य परिजनों को घर में घुसकर मारपीट कर चोटें पहुंचाये जाने, जातिसूचक गालियां एवं जानमाल की धमकी दिये जाने एवं सामान तोड़–फोड़ किये जाने का आक्षेप लगाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अजय कुमार पाल के विरूद्व बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दिनांक–27.02.2026 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार अभियुक्त का उक्त मामले के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में न्यायालय द्वारा सह–अभियुक्त संजय सिंह उर्फ जोखू सिंह की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का एक अन्य आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई.एवं अन्य,** 2022 SC

Online 577 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपित अपराध हेतु अनुकल्पित दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अजय कुमार पाल** का जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। **अभियुक्त द्वारा मु0–30000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक संतोषप्रद प्रतिभू** दाखिल करने पर, उसे जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।

1. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त बिना किसी स्थगन के विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रिया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

इस आदेश में अधिरोपित किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में अभियोजन, अभियुक्त को प्रदत्त जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगा।

दिनांक–24.03.2026

(परवेज अख्तर)
जे.ओ. कोड UP-6310
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
प्रयागराज।